

सुभाजमण्डी

15.1.21


पत्रावली पेश। वकील वारी उपर व/अन्व  
वाद सं. 150/20 में निर्णय पारित किया  
जाया। उक्त निर्णय भी एक ही

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुकम की तारीख  
में जारी हुआ


संयुक्त विधायक होने के फलस्वरूप इस  
वाद में संलग्न की गयी पत्रावली  
केस नं. सुभार की जाकर बाद  
तामीन तामीन प्रिवेट लिमिटेड  
अडार ही।

  
उपरोक्त अधिकारी  
राममंजमण्डी



15.1.21

उपखण्ड अधिकारी  
रामयंजमण्डी

पत्रावली पत्रा। वनील वादीगठा उपस्थित ह  
बहस विधान अधिवक्ता वादीगठा खुली गई।  
दौरान बहस विधान अधिवक्ता वादीगठा

  
उपखण्ड अधिकारी  
रामयंजमण्डी

पत्रा-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अवकाश की तारीख में जारी हुकम
	<p>का कथन है, कि एक ही भूमि के तीन एकठा एकक-एकक बारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्न है</p> <p>(1) एकठा सं. 157/2020, सुतराम / सफाए</p> <p>(2) एकठा सं. 159/2020 बाबचंद / सफाए</p> <p>(3) एकठा सं. 154/2020 रामेश्वर / सफाए</p> <p>उक्त एकठा साबिक खसरा नम्बर 200 तथा 221114 से संबंधित है उक्त भूमि के दाय खसरा नम्बर 029 व 022 संप्रभाग में तीनों बंदियों के नाम एक-एक दर्ज है अनुलोष भी समान ही है</p> <p>हमें तीनों एकठों का अवगत कर एक साथ बरस सुनी। यैराने बरस विधान अधिवक्ता वारीगठा का कथन है, कि प्रलित को अपने जवाब में वारीगठा के वादपत्रों का खीका करने में आपत्ति नहीं है व वारीगठा को पूर्व में ही बोलती रह गये जा चुके हैं, किन्तु रिफार्ड में पुनः माफी इध पिछाई का अंकन कर दिया है, जिसे हराया जावे। सेरीगेबान के दौरान थोड़ा शब्द जोड़ दिया है, उस भी हराया जावे।</p> <p>बाद बरस पचावली का अधोपान्त</p> <p> उपखण्ड अधिकारी राज. जमपट्टी</p>	<p>गठन अवलोकन एवं मनन किया गया। तीनों वारीगठा द्वारा एक एक वादपत्र प्रस्तुत किये हैं उक्त तीनों वारीगठा ग्राम देवलीपुरी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 200 तथा 221114 के पूर्व खेतिया क्रिशन-लाल हुस-भय्या धाऊ के पुत्र हैं, जिनके नाम उक्त भूमि के साबिक के मुकाबले दाय खसरा नम्बर समभाग में एक-एक दर्ज है अनुलोष भी एक ही ही अतः मिसल नम्बर 154/20, 155/20 तथा 157/20 का विनिश्चय एक ही निर्णय से किया जाना उचित प्रतीत होता है वारीगठा द्वारा वादपत्र के कथन, भूमिगत लम्प, वांचिदत अनुलोष, जवाब सफाए एवं वारीगठा द्वारा अपने कर्मों के समर्पण में प्रस्तुत साक्ष्यादि दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया।</p> <p>अपने कर्मों के समर्पण में वारीगठा द्वारा नराल जमाबंदी ग्राम देवली पुरी सं० 2021-24 (बाला नम्बर 205, नराल फर मिदान सन् 2004-24, नराल जमाबंदी ग्राम देवली पुरी 2025-28 (बाला सं० 210, नराल जमाबंदी ग्राम देवली पुरी सं० 2029-32 (बाला नम्बर 210, नराल जमाबंदी ग्राम देवली पुरी</p> <p> उपखण्ड अधिकारी रामगं. डी</p>

नम्बर व तारीख  
अवकाश की तारीख  
में जारी हुकम

उपखण्ड -

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का इतिहास/विवरण	नम्बर व तारीख अवकाश जो हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>खं. 2033-36 खाता नं. 330, नकल अमाबंदी देवलीपुरी 2036-40 खाता नं. 330, नकल अमाबंदी ग्राम देवलीपुरी खं. 2054-205 खाता नं. 367, नकल अमाबंदी बन्सोवसा संवत्/सन् 2004-24 खाता नम्बर 370, नकल अमाबंदी बन्सोवसा ग्राम देवलीपुरी सं. 2014-33 खाता नं. 188, खात नकल अमाबंदी ग्राम देवलीपुरी 2021-24 खाता नम्बर 556, खाता नं. 555, खाता नं. 554, तथा नकल नामान्तरण ग्राम देवलीपुरी नं. 59 दि. 19-12-64, प्रस्तुत किये गये।</p> <p>अमाबंदी सं. 2021-24 की अमाबंदी खा. नं. 205 पर जीएम नामान्तरण नम्बर 59 की पूर्व खोलेदार किसानराज प्रेम चम्पा को द्वारा 19 R.G. Act के अध्यायों के तहत खोलेदारी अधिकाधिक किये जा चुके हैं, किन्तु भान्नी इध पिपार के रिज्यूट हो जाने के उपरान्त भी उम्मा शमि पर पुनः उसी भान्नी का अंदाज किया गया जो लेखनीय सुरि प्रतीत होता है।</p> <p>संवत् 2054-57 की अमाबंदी में पूर्व खोलेदार की विरासत के आधार पर बालचंद, सुलराम, लोखन का नाम दर्ज किया गया। पूर्व भित्तान के आधार पर प्रमाणित होता है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी

- कृपया -

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का इतिहास/विवरण	नम्बर व तारीख अवकाश जो हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>है, कि साबिक खसरा नम्बर 500 के वान खसरा नम्बर 751 व 752 के वान के प्रेषण किये गये, जो राजिया बन्सोवसा अमाबंदी अधि 2004-24 के खाता नम्बर 370 में तीनों वारीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड हैं।</p> <p>नालान्दा में ख. नं. 752 के तीन भाग किये जाकर अमाबंदी संवत् 2021-24 के खाता नम्बर 554, 555, व 556 के अनुसार तीनों वारीगण के नाम पर उक्त खसरा नम्बर के तीन भाग किये जाकर दर्ज कर किये हैं।</p> <p>नामान्तरण सं. 59 के वारीगण के पिता को खोलेदारी खसरा प्रदान किये जा चुके हैं, तथा भान्नी रिज्यूट हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में वारीगण के नाम दर्ज किये पर भान्नी रिज्यूट या भान्नी इध पिपार का अंकन सुरिपूर्व प्रतीत होता है। साम ही साम राजिया अमाबंदी में अतिरिक्त अंकन "मंडा" का अंकन भी कराया जाना उचित है।</p> <p>अतः गुणावंशुण के आधार पर तीनों वान खोलेदार किये जाकर यह आदेश किये जाते हैं, कि ग्राम देवलीपुरी की</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी

- कृपया -

तारीख  
हुकूम

भूमि डाक क्र नं० 1515/752 कबा 1.40 ई.  
1513/752 कबा 1.39 ई., 751 कबा 0.01 ई.  
ब 1514/752 कबा 1.40 ई० पर ले मानी  
इध पिलाई का अंकन कराया जाता है।  
ही साम "पडा" राबद विकीपित किया जाता  
है। तदनुसार डिफ्टी मुक्तिव ही रिपोर्ट म  
अमल ही

पभावनी जैलन मुमाए की जाफा बाद  
लाभीत लाफतीत राखित दफ्तार ही।

निर्देश की एक-एक छलियां तीनीं  
पभाविलियां मं खलन की जावे।

निर्देश आज दिनांक 15/01/2021 को भेटे जात  
दिलवाया जाफा विकुल न्यायालय मं लुनामा।

(देशल रान)  
I.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी  
रायचंजमण्डी

# अंतिम डिकरी व मुकद्दमे

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, प्राप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अवालत उपलवड अधिकारी मुकाम रामगंजमंडी  
 व इजलास देराल-दाल (I.A.S.)

सुरताराम बनाम सकार, बालचंद बनाम सकार, रामेश्वर बनाम सकार  
 दावा बाबत 88-89-188 R.T. Act-1955  
2020 2020 2020  
00286, 00285, 00284 मुकद्दमा नं. 154, 155, 152 सन् 2020  
(I.A.S.)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-व-रु मुझ देरालदाल  
 बहाजरी श्री धनरथाम धाऊ एड. मिनजानिब मुद्दई व पेरोकार सकार

मिनजानिब मुद्दायलाह पेण होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि  
तीनों वाद वादीगण बीकार किये जाऊ यह आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम  
देवलीखुई श्री अमि खान नं० दाल 1515/752 कबा 1.40 हे०, 1513/752 कबा 1.39  
व 151 कबा 001 हे० तथा 1514/752 कबा 1.40 हे० पर स "भाफी इध पिलाई" का  
भंजन कराया जाता है नाम ही साम "भड़ा" शब्द विनिर्दिष्ट किया जाता है  
राज्य रिफार्ड में अमल हो

बीज ✓ मुबालग ✓ बाबत ✓  
 खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व सरह ✓ फासदी तालाना आज की तारीख  
 से तारीख बसूलयाबी तक ✓ को अदा करे।

बसूलत मेरे दस्तखत व मुहर बदालत के आज तारीख 15 माह 01 2021  
 को जारी की गई।  
 महर उपलवड अधिकारी  
रामगंजमंडी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प बर्जी 1वा	....		स्टाम्प बकालतनामा	....	
स्टाम्प बकालतनामा	....		स्टाम्प बर्जी	....	
स्टाम्प बजई खबूत	....		महनताना वकील पर	....	
महनताना वकील	....		खर्चा गवाहान	....	
खर्चा गवाहान	....		फास कमिशनर	....	
फास कमिशनर	....		बाबत इकशाय हु वमनामा	....	
बाबत इकशाय हु वमनामा	....		मुतफरिफ	....	
मुतफरिफ	....				
मीजान....					

नोट-इस खर्चे के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, बाहे डिकरी के जितने पिलाया गया हो वा नहीं दर्ज करना  
 नहीं। वाद व्यय पक्षकार अपनी-अपनी वहन करे।

क. ड. सी. 196-2006-1,00,000 काम

उपलवड अधिकारी  
रामगंजमंडी